जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/ सम्बद्धता/ 2011/ 4142 दिनांक/ 30

प्रति,

प्राचार्य / संचालक
समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत गैर शिक्षकीय (Non Teaching) पदों को भरे जाने बावत्।

महोदय,

उर्पयुक्त विषय में सूचित हो कि म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिनियम 27 (Admission of Colleges/Institutions to the privilege of the university and withdrawal of thereon) एवं परिनियम 28 (College code) के प्रावधान बनाये गये हैं।

कॉलेज कोड 28 के प्रावधान 28(17) अन्तर्गत समय-समय पर गैरशिक्षकीय (Non Teaching) पदों को भरे जाने हेतु महाविद्यालयों को सूचित किया गया है। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि महाविद्यालय नियमितगैर शिक्षकीय पदों जैसे लायब्रेरियन, अकाउन्टेन्ट, लिपिक, लैब असिस्टेंट, लैब अटेन्डेन्ट, भृत्य/चौकीदार इत्यादि पदों को भरे जाने में कोई रूचि नहीं ले रहे हैं।

कॉलेज कोड 28 अनुसार महाविद्यालयों को तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के नियमित पद अनिवार्य रूप से परिनियम 28(17) के प्रावधानानुसार भरे जाने चाहिए। अतः समस्त महाविद्यालय एक माह के अन्दर गैर-शैक्षिकीय पदों हेतु विज्ञापन जारी कर चयन समिति गठित करवाकर पदों का परिनियम 28(17) (2) (c) के अन्तर्गत भरे जाने की कार्यवाही करें। जिन महाविद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन समिति का गठन करवा लिया है वे चयन समिति की बैठक बुलाकर चयन की कार्यवाही शीघ्र करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति जी के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक : एफ/संबद्धता/2011 4143

दिनांक 30 |1-11

प्रति,

प्राचार्य/संचालक
समस्त महाविद्यालय
सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

विषयः- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सम्बद्धता/2010/2029A दिनांक 15.07.2010 के द्वारा सूचित किया गया था कि परिनियम 28(17) के अन्तर्गत स्थायी प्राचार्य तथा शिक्षकों की नियुक्तियां अनिवार्य रूप से कर ली जावें। (प्रति संलग्न)

इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर भी सूचित किया गया है, कि परिनियम 28(17) के अन्तर्गत नियुक्तयां कर विश्वविद्यालय को सूचित करें किन्तु महाविद्यालयों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः अंतिम बार सूचित किया जाता है, कि आपके द्वारा परिनियम 28(17) के अन्तर्गत नियुक्त किये गये शिक्षको की जानकारी दिनांक 31 दिसम्बर 2011 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। जिन महाविद्यालयो द्वारा 28(17) में की गई नियुक्ति की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई अथवा जिनके द्वारा नियुक्ति नहीं की गई है, उन महाविद्यालय के प्रकरण कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर किये जायेगें जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय भी तत्काल नियमित शिक्षकीय स्टॉफ की नियुक्ति की कार्यवाही करे अन्यथा इस संबंध में आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को प्रकरण भेजा जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

E:Yogi/Gen.Sochna

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-751-2341[illegible]
2442801 (कार्यालय)
2442432 (निवास)
फैक्स
0091-751-2341[illegible]
E-mail :
juree. gwl[illegible]
[illegible]

दिनांक [illegible]

प्रेषक :
कुलसचिव
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक [illegible] 2010/ [illegible]

प्रति

प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त अशासकीय महाविद्यालय।

विषय :- परिनियम 23(17) के अन्तर्गत स्टाफ की नियुक्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

[illegible]

23(17) के अन्तर्गत अपने महाविद्यालय में नियुक्तियाँ [illegible]

[illegible] किये जाते है।

[illegible]

50,000/- अर्थदण्ड के साथ [illegible]

2. जिन महाविद्यालयों की स्थापना हुये 05-10 वर्ष का समय हुआ है वे महाविद्यालय [illegible] 1,00,000/- अर्थदण्ड के साथ दिनांक 31 जुलाई [illegible] तक नियुक्तियाँ करें।

3. जिन महाविद्यालयों की स्थापना हुये 10 वर्ष से अधिक का समय हुआ है वे महाविद्यालय रुपये 1,50,000/- अर्थदण्ड के साथ दिनांक 31 जुलाई, 2010 तक नियुक्ति [illegible]

भवदीय

[signature]

कुलसचिव

My Com/admin's Docu/Muley/Letter